I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2018

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 04/10/2018 15:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/10/2018 **Time (समय):** 00:00 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/10/2018 11:59 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): Panipat, Panipat

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** SULTAN SINGH INSPECTOR PS SVB KARNAL

   (b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 07/02/1961 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

   Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB KARNAL, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB KARNAL, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	K.D BAINIWAL			1. ETO,JINDJIND,HARYANA,INDIA
2	DEVINDER KUMAR			1. ETO,JINDJIND,HARYANA,INDIA
3	PARTAP SINGH KUNDU			1. EXCISE AND TAXTATION OFFICER,SONIPATSONIPAT,HARYANA,INDIA
4	PAWAN KUMAR			1. SALE TAX COMMISSIONER,PANIPATPANIPAT,HARYANA,INDIA
5	SURESH KUMAR BHODWAL			1. DEPUTY EXCISE AND TAXTATION COMMISSIONERPANIPAT,HARYANA,INDIA
6	SUSHIL GAUR			1. DEPUTY EXCISE AND TAXTAION COMMISSIONERPANIPAT,HARYANA,INDIA
7	RAJESH CLERK			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
8	RAMESH KASHYAP CLERK			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA 2. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
9	IQBAL CLERK			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
10	SMT. MANJU CLERK			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
11	ANAND CLERK			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
12	RAMKISHAN CLERK			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
13	MS RAM SWAROOP SUNIL KUMAR OVERSEAS PVT LMT SAFFIDON JIND			1. SAFFIDON,JINDJIND,HARYANA,INDIA
14	SATISH KUMAR SON OF KRISHAN KR			1. H NO 738,GALI NO-9,GHAZIABADGHAZIABAD,UTTAR PRADESH,INDIA
15	SMT. RAJ RANI WIFE OF KAILASH CHAKRA			1. HOUSE NO 532-10,OLD HOUSING BOARD SONIPATSONIPAT,HARYANA,INDIA
16	INDERJIT SINGH VIKAS BANSAL			1. OWNER MS KIRAN INDUSTRIAL CORP,PANIPATPANIPAT,HARYANA,INDIA
17	MOHAN LAL NARWAN SON BALBIR			1. H NO 2420 GALI NO 5,NEW RK PURAM PANIPATPANIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

थाना विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। यह है कि जॉच क्रमांक 03 दिनांक 01-04-2013 पानीपत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के क्रमांक 33/47/13-3 चौकसी (1) दिनांक 21.03.2013 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर करके महानिदेशक, रा0चौ0ब्यू0, कार्यालय के पत्र क्रमांक 5396/आई-1/रा0चौ0ब्यू0 हरियाणा दिनांक 04-04-2013 अनुसार श्री सुमीत वासी महेश नगर अम्बाला की शिकायत के आधार पर श्री सुरेश कुमार उप-पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पचकुला को जॉच के लिए दी गई थी। जिसमे आरोप न-.1 यह कि सेल टैक्स विभाग जीन्द में कार्यरत श्री बनारसी दास क्लर्क, श्रीराम प्रसन्न निरीक्षक व सुधाशु सेवादार द्वारा अपने सर्कल सफीदों की फर्म श्री साई इन्टरप्राईजिस, कुबेर इन्टरप्राईजिस व शिवम फिलिंग स्टेशन से मिली भगत करके जाली-सी0 फार्म के आधार पर टैक्स की चोरी करवाना, फर्म रामस्वरूप वासी सफीदों (आर0के0एस0के0) से मिली भगत करके फर्जी फार्म डी.02 जारी करना तथा प्लाईवुड एण्ड हार्डवेयर स्टोर सफीदों फर्म खुलवाकर, टैक्स की चोरी करवाकर सरकार को करोडो रूपयों की हानि पहुँचाना है। जिस सम्बन्ध में जॉच के दौरान पाया गया कि मैसर्ज आर0के0एस0के ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड सफीदों के मालिक श्री रामस्वरूप, सुनील कुमार डायरैक्टर है। जिनकी कम्पनी का टीन नम्बर 06952001561 है। इस कम्पनी की वर्ष 2010-11 का मूल्यांकन श्री के0डी0 बैनीवाल ई0टी0ओ0 जीन्द द्वारा की गई। मूल्यांकन के अनुसार इस कम्पनी की तरफ 7,27,779/-रूपये हरियाणा वैट एक्ट के तहत व 1,90,39,729/-रूपये CST Act के तहत विभाग का कुल 1,97,67,508/-रूपये की राशि का टैक्स बकाया है। जो इस राशि को प्राप्त करने के लिए टैक्स विभाग जीन्द द्वारा कम्पनी से रिकवरी करने के लिए समय-2 पर नोटिस तो दिए लेकिन यह राशि कम्पनी से विभाग द्वारा रिकवर नहीं की गई है। जॉच के दौरान कम्पनी के निदेशकों को जॉच में शामिल होने के लिए जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2014 को नोटिस दिया गया। नोटिस से मिले जवाब व उप-आबकारी व कराधान आयुक्त जीन्द के कार्यालय के पत्र दिनांक 31.12.2013 अनुसार यह कम्पनी बन्द हो गई है। जिस कारण कम्पनी के निदेशक जानबूझकर जॉच में शामिल नहीं हुए। जो इस कम्पनी को बैंक द्वारा की गई निलामी में श्री अथर जीया वासी मकान न0 412, मानेसर गुरूग्राम के द्वारा वर्ष 2013 में खरीद लेना पाया गया है। मैसर्ज आर0के0एस0के ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड सफीदों की तरफ 1,97,67,508/-रूपये टैक्स की राशि विभाग की बकाया होनी पाई गई। इस प्रकार कम्पनी मैसर्ज रामस्वरूप सुनील कुमार (आर0के0एस0के0) ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड सफीदों की असैसमैन्ट श्री के0डी0 बैनीवाल ई0टी0ओ0 जीन्द के द्वारा की गई थी, लेकिन कम्पनी के द्वारा टैक्स/डिमांड राशि को विभाग में जमा नही करवाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी ने इस कम्पनी से रिकवरी करने के ठोस प्रयास नहीं किए। यदि यह अधिकारी समय पर कार्यवाही करके कम्पनी की सम्पति बारे कुरकी बारे कार्यवाही करता तो यह राशि कम्पनी से रिकवर हो सकती थी। अतः श्री के0डी0 बैनीवाल ई0टी0ओ0 जीन्द ने मैसर्ज आर0के0एस0के ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड सफीदों के मालिक से मिली भगत करके उक्त फर्म से टैक्स की राशि वसूल ना करके अपने पद का दुरूप्योग करके सरकार को राजस्व के रूप में मिलने वाली टैक्स राशि का नुकसान पहुँचाया है। इसी प्रकार जॉच में मैसर्ज जीन्द प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर सफीदों जिला जीन्द की वर्ष 2011-12 की असैसमैन्ट श्री देवेन्द्र कुमार ई0टी0ओ0 जीन्द द्वारा की जानी पाई गई। जिसके बारे में उप-आबकारी एव कराधान आयुक्त सेल्स टैक्स विभाग जीन्द के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट व श्री देवेन्द्र कुमार ई0टी0ओ0 जीन्द के द्वारा उक्त फर्म की, की गई असैसमैन्ट रिपोर्ट के अनुसार उक्त फर्म के द्वारा बकाया टैक्स/डिमांड राशि 16,52,59,804/- रूपये विभाग में जमा नहीं करवाए गए। जिससे स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी ने इस फर्म से रिकवरी करने के ठोस प्रयास नहीं किए। दौराने पडताल श्री रविन्द्र कौशिक उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारी राज्य चैकसी ब्यूरो, पंचकुला ने अपनी अन्तिम जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसके अवलोकन से पाया गया है कि मैसर्ज जीन्द प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर सफीदो द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 मे जतिन ट्रेडिंग कम्पनी फरीदाबाद, मैसर्ज आराधना ट्रेडिंग कम्पनी गुडगांव, मैसर्ज गोबिन्द ट्रेडिंग कम्पनी करनाल व मैसर्ज जी स्टील पानीपत ने अपने कथनों में माना है कि उनके द्वारा उक्त समय अवधि में मैसर्ज जीन्द प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर सफीदों जिला जीन्द के मालिक से कोई सेल/परचेज नहीं की है। इस फर्म के वर्ष 2012-13 मे मालिक के बारे में कार्यालय उप-आबकारी कराधान व आयुक्त जीन्द से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार इस समय अवधि में फर्म का मालिक श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार वासी मकान न0 738, गली न0-09, गाजियाबाद होना पाया गया है। जिसने उक्त फर्मो से फर्जी खरीद करना रिकॉर्ड में दिखाकर व फर्म को वर्ष 2013 से ही बन्द करके सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व/डिमांड राशि 16,52,59,804/-रूपये जमा नहीं करवाई है। इस प्रकार श्री देवेन्द कुमार ई0टी0ओ0 जीन्द ने अपने पद का दुरूप्योग करके फर्म मैसर्ज जीन्द प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर साफीदों जिला जीन्द के मालिक सतीश कुमार के साथ मिली भगत करके फर्म द्वारा फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके सरकार को मिलने वाले राजस्व को जमा ना करवाकर सरकार को वितिय नुकसान पहुंचाया है। आरोप न0-02 में श्री बनारसी दास क्लर्क सेल्स टैक्स विभाग जीन्द ने आय से अधिक सम्पति बनाई जैसे बस अड्डा जीन्द के पास करोडो रूप्ये की भूमि खरीद की हुई है। इस सम्बन्ध में जॉच के दौरान पाया गया है कि प्रतिवादी बनारसी दास क्लर्क सेल्स टैक्स विभाग जीन्द की अपनी सर्विस के दौरान जायज साधनों से कुल आय 24,42,958/-रूपये व बनाई गई सम्पति पर कुल 21,17,865/-रूपये व्यय की जानी पाई गई है। जो प्रतिवादी की बनाई गई सम्पति उसके द्वारा जायज साधनों से बनाई जानी मानी जा सकती है, लेकिन दौराने जॉच यह अवश्य पाया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा प्लाट खरीद करने के बारे में विभाग से कोई अनुमति नहीं ली जानी पाई गई। अतः प्रतिवादी बनारसी दास चपडासी हाल क्लर्क कार्यालय उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स टैक्स विभाग पानीपत द्वारा प्लाट/भूमि खरीद करने की विभाग से अनुमति ना लेकर घोर लापरवाही की है। जिसके विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवाएं नियमावली 1987 (दण्ड एवं अपील) के नियम-7 के तहत विभागीय कार्यवाही किए जाने का सुझाव आरोप सीमा तक सिद्ध रहा। आरोप न0-03 यह कि सेल्स टैक्स विभाग सिरसा के स्टैनो श्री मनोज व ओम प्रकाश लिपिक ने जिला में गोयल एसोसिएट व एलीजैन्ट स्टील अनाज मण्डी सिरसा नामक फर्म चला रखी है। जो इन फर्मो से एस0टी0-38, आउटवर्ड फार्म डीलर को दे देते है और वापिस कम मात्रा में लेते है। जिसमे ढाई लाख रूपये से पॉच लाख रूप्ये की सेल राशि पर प्रलेखों में कटिंग करके एक लाख रूपये सेल पर टैक्स भरवाकर

सरकार को टैक्स की हानि पहुँचाना है। इस सम्बन्ध में जॉच के दौरान मुताबिक सेल्स टैक्स फर्मों के द्वारा टैक्स नियमानुसार विभाग में जमा कराना पाया गया है। अतः इस आरोप के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि फर्म के मालिको के द्वारा एस0टी0-38 फार्म पर कटिंग की हो या विभाग के कर्मचारियों के द्वारा फर्म मालिकों से मिली भगत करके टैक्स की चोरी करवाई हो। जो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप न0-04 यह कि सेल्स टैक्स विभाग, सोनीपत मे निरीक्षक योगेश भारद्वाज व राजीव ने पानीपत प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर गन्नौर सोनीपत नामक फर्म खुलवा रखी है फर्म सेल्स टैक्स विभाग से एस0टी0-38, आउटवर्ड फार्म लेकर इस पर करीब 4 लाख रूपये कीमत का माल बेचती है और एस0टी0-38 फार्म में मिस्प्रिन्ट कर, माल पहुँचाने पर नया बिल 60 से 70 हजार रूप्ये एस0टी0-38 फार्म में भरकर राश लगाकर बाकी राशि का टैक्स फर्म का मालिक व अधिकारी मिलकर हडप जाते है तथा सेल्स टैक्स विभाग पानीपत के श्री हरीश बतरा व श्री राजबीर ने पिछले सात साल मे बहुत सी लोहे व सीमेन्ट का काम करने वाली फर्म खुलवा रखी है। जैसे की जय मां टेडर, आर्य इन्टरप्राईजिज, बाबा सीमेन्ट स्टोर, एस0एस0बी0एस0 एसोसिएट, पंकज गोस्वामी एसोसिएट, सुमीत इन्टरप्राईजिज, जय भारत आयरन एण्ड टिम्बर स्टोर, यश इन्टरप्राईजिज, दीपक टेडर, सीरीया कन्सट्रक्शन, ए0डी0 ट्रेडर्स, गोविन्द आयरन स्टोर आदि फर्म जो एक गाडी में चार लाख रूप्ये का माल लेकर एस0टी0-38, आउटवर्ड फार्म भरकर माल भेजती है और माल पहुँचाने पर बिल फाड देती है। बिलों मे राशि को मिस्प्रिन्ट करके 50 से 60 हजार रूपये का बिल लगा देते है तथा 25 से 40 फर्मो की राशि जमा ना करवाकर सेल्स टैक्स की राशि हजम करके टैक्स की चोरी करते है। उक्त आरोप बारे जॉच के दौरान पाया गया है कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिक्रीकर सोनीपत के कार्यालय के पत्र दिनाक 02.11.2015, 09.10.2015 के अनुसार दिनांक 10.05.2012 से 11.04.2013 तक श्री राजेश क्लर्क, रमेश कश्यप क्लर्क, ईकबाल क्लर्क, श्रीमति मन्जू क्लर्क, श्री आन्नद क्लर्क, श्री रविन्द्र सिंह क्लर्क व श्री रामकिशन क्लर्को के द्वारा मैसर्ज पानीपत प्लाईवूड हार्डवेयर एण्ड बिल्डिंग मैटीरीयल सोनीपत को वैट डी.3 फार्म आउटवर्ड व इनवर्ड जारी किए जाने पाए गए। जिनमें से राजेश क्लर्क द्वारा 525 आउटवार्ड फार्म व शून्य इनवर्ड फार्म रमेश कश्यप क्लर्क द्वारा 1835 आउटवार्ड फार्म व 135 इनवर्ड फार्म, इकबाल क्लर्क द्वारा 10 आउटवार्ड फार्म व शून्य इनवर्ड फार्म श्रीमति मन्जू क्लर्क द्वारा 25 आउटवार्ड फार्म व 15 इनवर्ड फार्म आन्नद क्लर्क द्वारा 320 आउटवार्ड फार्म व 25 इनवर्ड फार्म रामकिशन क्लर्क द्वारा 25 आउटवार्ड व शून्य इनवर्ड फार्म तथा रविन्द्र क्लर्क द्वारा शून्य आउटवार्ड व शून्य इनवर्ड फार्म उक्त फर्म को जारी किए जाने पाए गए। जबकि विभाग के नियमो के अनुसार किसी भी फर्म को एक समय में 25 फार्म डी.3 आउटवार्ड जारी किए जा सकते है। जब तक जारी किए फार्म फर्म के द्वारा वापिस विभाग में जमा नही करवाए जाते तब तक आगे फार्म जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन उपरोक्त कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग करके मैसर्ज पानीपत प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर गन्नौर जिला सोनीपत से मिली भगत करके सरकार को मिलने वाले राजस्व की राशि का नुकसान किया है। इसके अतिरिक्त जॉच से यह भी पाया गया है कि मैसर्ज पानीपत प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर गन्नौर जिला सोनीपत के बारे में इस फर्म की मालकीन श्रीमति राजरानी पुत्री स्व0 श्री कुन्दन लाल पत्नी श्री कैलाश चक्र वासी मकान न0 354, शान्ति नगर, पानीपत व पूरा पता मकान न0 532/10, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी सोनीपत है। जिसको बार-2 नोटिस देने के बाद भी शामिल जॉच नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार यह फर्म काफी समय से बन्द होनी पाई गई। इस फर्म की स्कूरटनी, असैसमैन्ट रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2011-12 की श्री प्रताप सिंह कुण्डु आबकारी एवं कराधान अधिकारी कार्यालय उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोनीपत के द्वारा की गई। इस फर्म की असैसमैन्ट के अनुसार फर्म की राशि 8,29,076 रूपये की डिमांड निकाली गई है। इस राशि को जमा करवाने के लिए विभाग द्वारा फर्म मालिक को पत्र जरूर लिखे गए है, लेकिन श्री प्रताप सिंह कुण्डु आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा फर्म की तरफ टैक्स की बकाया राशि को रिकवर करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। अतः मैसर्ज पानीपत प्लाईवूड एण्ड हार्डवेयर स्टोर गन्नौर जिला सोनीपत की मालकीन के साथ श्री प्रताप सिंह कुण्डु आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा मिली भगत करके, अपने पद का दुरूप्योग व फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके सरकार को मिलने वाले राजस्व को जमा ना करवाकर सरकार को वितिय नुकसान पहुँचाया है। जॉच से यह भी पाया गया है कि पवन कुमार उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स टैक्स पानीपत श्री सुरेश कुमार बौडवाल उप-आबकारी एवं आयुक्त एक्साईज पानीपत के द्वारा मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत द्वारा शाहबाद कुरूक्षेत्र की फर्म मैसर्ज स्टालवर्ट, मैसर्ज एक्सट्रा मैटविज व मैटविज इण्डिया को विक्रय किए गए सामान की सेल टैक्स जमा होने बारे बिना रिकॉर्ड तसदीक किए रिपोर्ट परस्तुत की गई जबकि मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत द्वारा कोई सेल्स टैक्स जमा नहीं करवाया गया था, लेकिन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त पानीपत की रिपोर्ट मिलने पर उप-आबकारी एवं कराधान सेल्स टैक्स विभाग कुरूक्षेत्र के द्वारा उक्त फर्मो के रिफण्ड जारी कर दिए गए, जबकि मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं करवाया गया। अतः पवन कुमार उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स टैक्स पानीपत श्री सुरेश कुमार बौडवाल उप-आबकारी एवं आयुक्त एक्साईज पानीपत तथा सुशील गौड उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त पानीपत के द्वारा सही ट्रांजैक्शन/सेल्स टैक्स के बारे मे सही रिपोर्ट आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स टैक्स विभाग कुरूक्षेत्र में ना भेजकर अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही का परिचय दिया है, यदि ये अधिकारी रिकॉर्ड चैक करके रिपोर्ट देते तो करोडो रूपयों की टैक्स चोरी होने से बचाई जा सकती थी। इसलिए उपरोक्त अधिकारियों ने अपने पद का दुरूपयोग व मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत के मालिक श्री इन्द्रजीत सिंह व श्री विकास बंसल से मिली भगत करके सरकार को वितिय हानि पहुँचाई है। जॉच से यह भी पाया गया है कि मैसर्ज पानीपत प्लाईवूड हार्डवेयर एण्ड बिल्डिंग मैटिरीयल गन्नौर जिला सोनीपत के द्वारा वितिय वर्ष 2011-12 की स्कूरटनी असैसमैन्ट के अनुसार इस फर्म को विभाग के द्वारा 10 वैट डी.3 फार्म जारी किए गए थे, परन्तु फर्म ने चैथी तिमाही रिटर्न में 15 वैट डी0-3 फार्म आउटवर्ड जमा करवाए जाने पाए गए है। इन पॉच वैट डी.3 फर्मो के नम्बर सी0-3191056 से 3191060 जाली पाए गए है। यह फार्म उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोनीपत के कार्यालय से जारी नही किए जाने पाए गए। इस फर्म द्वारा भी मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत से क्रय विक्रय किया जाना पाया गया। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त की रिपोर्ट में यह लिखा है कि मैसर्ज आर्य इन्टरप्राईजिज जिसका टीन नम्बर 06932619850 ने भी मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत से खरीदे गए माल के आधार पर 30 लाख रूपये का रीफंड लिया गया था। इस फर्म के मालिक श्री मोहन लाल नरवान पुत्र श्री बलबीर सिंह मकान न0 2420, गली न.5 न्यू आर0के0 पुरम, पानीपत को दिनांक 27.11.2013 को नोटिस देने के बाद भी शामिल जॉच नही हुआ। इस प्रकार आर्य इन्टरप्राइजिज ने भी मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत से खरीदे गए फर्जी माल के आधार पर 30 लाख रूपये रीफंड लेकर इस फर्म के मालिक मोहन लाल नरवान उपरोक्त ने वापिस जाम ना करवाकर सरकार को वितिय नुकसान पहुचाया है। इनके अतिरिक्त जिन 33 फर्मो का उल्लेख जिन्होने उक्त फर्मो से क्रय विक्रय किया है उनके बारे मे भी तफतीश किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपों की जॉच में दर्शाए गए अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्मो के मालिक 1. के0डी0 बैनीवाल ई0टी0ओ0 जीन्द 2. देवेन्द्र कुमार ई0टी0ओ0 जीन्द 3. प्रताप सिंह कुण्डु आबकारी एवं कराधान अधिकारी सोनीपत 4. पवन कुमार उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स टैक्स पानीपत 5. सुरेश कुमार बौडवाल उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त एक्साईज पानीपत 6. सुशील गौड उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त पानीपत 7. राजेश क्लर्क 8. रमेश

कश्यप क्लर्क 9. ईकबाल क्लर्क 10. श्रीमति मन्जू क्लर्क 11. आन्नद क्लर्क 12. रामकिशन क्लर्क सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने फर्मों के मालिक 13. मैसर्ज रामस्वरूप सुनील कुमार (आर0के0एस0के0) ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड सफीदों 14. सतीश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार वासी मकान न0 738, गली न0-09, गाजियाबाद 15. श्रीमति राजरानी पुत्री स्व0 श्री कुन्दन लाल पत्नी श्री कैलाश चक्र वासी मकान न0 354, शान्ति नगर, पानीपत व पूरा पता मकान न0 532/10, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोनीपत 16. इन्द्रजीत सिंह व श्री विकास बंसल मालिक मैसर्ज किरण इन्डस्ट्रीयल कॉप्रोरेशन पानीपत 17. श्री मोहन लाल नरवान पुत्र श्री बलबीर सिंह मकान न0 2420, गली न0-05 न्यू आर0के0 पुरम, पानीपत के साथ मिली भगत व भ्रष्टाचार करके उपरोक्त फर्मो को फायदा पहुँचाकर अपने पद का दुरूप्योग किया है और सरकार को करोड़ों रूप्ये की वितिय हानि पहुँचाकर जुर्म जेरधारा 406,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13(1) डी. भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 का किया है। लिहाजा तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा मोहरर के पास भेजी जा रही है। जो मुकदमा दर्ज करके स्पैशल रिपोर्ट से हल्का मैजिस्टेट व अफसरानबाला को सूचित किया जाए। एस.डी- सुल्तान सिंह, निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर उपरोक्त पर मुकदमा न0. 14 दिनॉक 04-10-2018 U/S 406,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13(1) डी0 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा कि स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब, करनाल को बजरियां E-Mail द्वारा सुचना भेजी गई वा असल तहरीर मय दस्तावेज वा मिसल मुकदमा बराये अनुसंधान श्री श्याम लाल उप पुलिस अधीक्षक (कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक) रा0चौ0ब्यूरो0 करनाल मण्डल, करनाल के हवाले की गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सुल्तान सिंह की हाजिरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Shyam Lal **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. **(आर.ओ.ए.सी.)**

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station **(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Name (नाम): Sultan Singh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): HAP/64

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/03/1965				Is Proxitted: Yes
2	Male	10/06/1969				Is Proxitted: Yes
3	Male	16/07/1974				Is Proxitted: Yes
4	Male	17/12/1970				Is Proxitted: Yes
5	Male	23/07/1973				Is Proxitted: Yes
6	Male	03/10/1978				Is Proxitted: Yes
7	Male	19/11/1980				Is Proxitted: Yes
8	Male	12/07/1979				Is Proxitted: Yes
9	Male	06/06/1978				Is Proxitted: Yes
10	Female	05/02/1980				Is Proxitted: Yes
11	Male	24/08/1982				Is Proxitted: Yes
12	Male	20/11/1974				Is Proxitted: Yes
13	Male	17/06/1974				Is Proxitted: Yes
14	Male	18/08/1970				Is Proxitted: Yes
15	Female	05/03/1975				Is Proxitted: Yes
16	Male	17/12/1975				Is Proxitted: Yes
17	Male	11/12/1979				Is Proxitted: Yes

श्री स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★